<u>आदेश</u>

<u>दिनांक– 18.04.24</u>

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गई। अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि अभियुक्त द्वारा चालानी प्राप्त होने के उपरान्त से अभी तक चालान में अंकित धनराशि को जमा करने को कोई प्रयास नहीं किया गया है। चालान में अंकित घटना के दिनांक से आज तक वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। निकट भविष्य में प्रस्तुत मामले में उसके उपस्थित होने की कोई सम्भावना दर्शित नहीं हो रही है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों, प्रकृतिक एवं चालान अवधि को दृष्टिगत रखते हुए एवं उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन अध्यादेश 2023, दिनांकित 22 मार्च 2023 से उक्त अधिनियम की धारा–9 में संशोधन करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक के एम0 वी0 एक्ट के सभी चालानों को उपशमित करने का प्रावधान है। तदानुसार प्रस्तुत चालान को उपशमित कर पत्रावली की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
बुलन्दशहर।